

रेलवे लाइन का कार्य शुरू करने का किसानों ने किया विरोध

किसानों के विरोध जताने पर प्रशासन को बिना जमीन का कब्जा लिए ही वापिस लौटना पड़ा

खिरोड़, (निसं)। दुर्जनपुरा से गोठड़ा श्री सीमेंट कंपनी तक डाली जाने वाली रेलवे लाइन का कार्य शुरू करने के लिए संबंधित किसानों की जमीन को चिह्नित कर जमीन का कब्जा लेने प्रशासन मंगलवार सुबह नौ बजे बसावा गांव के खेतों में पहुंचा, मगर किसानों के विरोध जताने पर प्रशासन को बिना जमीन का कब्जा लिए ही वापिस लौटना पड़ा।

प्रशासन पुलिस जाबो के साथ बसावा गांव के खेतों में किसानों की अनुमति के बिना ही जबरन घुस गए और रेलवे लाइन डाले जाने का कार्य शुरू कर दिया, मगर आस-पड़ोस के किसानों ने एकत्रित होकर इस कार्य का विरोध किया। पुलिस प्रशासन का भी भारी विरोध किया गया। इस मामले में किसानों ने बताया कि हमारे खेतों में से रेलवे लाइन नहीं जाने देंगे। चाहे हमारी जान भी क्यों न चली जाए सभी किसानों ने मिलकर एक स्वर में कहा कि जान दे देंगे, मगर हमारी जमीन में से रेलवे लाइन नहीं जाने देंगे। रेलवे लाइन निरस्त किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रतनसिंह शेखावत के नेतृत्व में किसानों ने रेलवे लाइन का जमकर विरोध किया। किसानों ने प्रशासन की



दुर्जनपुरा से गोठड़ा श्री सीमेंट कंपनी तक डाली जाने वाली रेलवे लाइन का किसानों ने विरोध किया।

इस कार्यवाही को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि किसानों की सहमति के बिना किसानों के खेतों में घुसना गलत है। प्रशासन एवं भरपूर पुलिस जाबो के साथ खेतों में रेलवे लाइन डाले जाने का काम शुरू करने के लिए संबंधित उद्देकार अपने साथ ट्रैक्टर-ट्राली में सामान लेकर आए और खेतों में काम करना शुरू कर दिया। मगर सैकड़ों की संख्या में कृषक

महिलाओं एवं पुरुषों ने इसका जमकर विरोध किया, जिसके चलते प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। किसान नेता विजेंद्र सिंह काजला ने कहा कि किसानों को डरा-धमका कर जबरन रेल लाइन डालने के लिए भूमि का अधिग्रहण करना सरकार और प्रशासन की गहमरानी हरकत है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को इन पूंजीपतियों के लिए रेल लाइन डालनी

है तो किसानों को मार्केट रेट से चार से पांच गुना भूमिका मूल्य और किसानों को पुनर्वास की सुविधा दिए जाने व प्रभावित किसानों को सरकारी नौकरी देने एवं रेल लाइन के दोनों तरफ सड़क डालनी होगी। किसान नेता नरेंद्र कड़वाल ने कहा कि अगर किसानों की सहमति के बिना प्रशासन किसानों के खेतों में घुसा तो किसानों द्वारा प्रशासन के खिलाफ जमकर

- संबंधित किसानों की जमीन को चिह्नित कर जमीन का कब्जा लेने प्रशासन बसावा गांव के खेतों में पहुंचा
- सभी किसानों ने मिलकर एक स्वर में कहा कि जान दे देंगे, मगर हमारी जमीन में से रेलवे लाइन नहीं जाने देंगे

विरोध किया जाएगा।

रेलवे लाइन का विरोध प्रदर्शन करने वालों में राजेश दूत, शीशराम दूत, करणीराम, जगदीश प्रसाद, शिशुपाल, पंकज कुमार, मुकेश कुमार, राकेश कुमार, विक्की, महेश, भूपेश गुर्जर, मनोज मूंड, मामराज मूंड, माया देवी, सुनीता देवी, संतोष देवी, प्रभाती देवी, कमला देवी, परमेश्वरी देवी, सावित्री देवी, कमला देवी सहित सैकड़ों लोग शामिल थे।

रीट प्रमाण पत्र का वितरण समय से पहले ही बंद करने पर हंगामा

उदयपुर, (कासं)। शहर के सूरजपोल स्थित राजकीय फतह सी.सै. स्कूल में मंगलवार को रीट पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र का वितरण समय से पहले ही बंद किए जाने पर हंगामा हो गया। अभ्यर्थी विरोध पर उतर आए और प्रिंसिपल चेतन पानेरी के रूप के बाहर प्रदर्शन करने लगे।

अभ्यर्थियों का कहना था कि स्कूल प्रबंधन को स्कूल के निर्धारित समय में रीट प्रमाण पत्र वितरित करने थे, लेकिन स्टाफ एक घंटा पहले ही स्कूल से गायब हो गया। अभ्यर्थी घंटों तक इशर से उभर भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई जबाब देने वाला नहीं था। इस दौरान इस दौरान प्रिंसिपल चेतन पानेरी भी गायब थे। अभ्यर्थी उन्हें फोन करते रहे लेकिन उन्होंने

- अभ्यर्थी विरोध पर उतर आए और प्रिंसिपल के रूप के बाहर प्रदर्शन किया

कॉल नहीं उठाया। ऐसे में जब अभ्यर्थियों ने डीईओ को इसकी शिकायत की तो प्रिंसिपल तुरंत स्कूल पहुंचे। प्रिंसिपल चेतन पानेरी स्टाफ कम होने और इस वक्त प्रवेश व टीसी आदि की भार होने का कारण गिनाते रहे, जबकि स्कूल में पीटीआई सहित 65 जनों का स्टाफ है। जानकारी के अनुसार सरकारी फतह स्कूल में रीट प्रमाण का वितरण सोमवार को शुरू हुआ था। पहले दिन भी समस्या आई लेकिन दूसरे दिन

मंगलवार को हालात और खराब हो गए। यहां 60 से 70 किमी दूर कोटड़ा, सेमारी, खेरवाड़ा आदि ब्लॉक से महिला और पुरुष अभ्यर्थी आए थे, जिन्हें प्रमाण पत्र लेकर बस से वापस अपने घर जाना था लेकिन स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण अभ्यर्थियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। स्कूल को आठ हजार अभ्यर्थियों को रीट प्रमाण पत्र वितरित करने हैं। इसके लिए स्कूल प्रिंसिपल ने आठ काउंटर बनाए। प्रत्येक पर एक-एक हजार प्रमाण पत्र वितरित होने हैं। एक काउंटर पर दो-दो स्टाफ यानी कुल 16 स्टाफ को नियुक्त किया लेकिन वहां सिर्फ दो ही काउंटर लगे थे। बाकी काउंटर तो थे, लेकिन वहां कोई स्टाफ मौजूद नहीं था।

जमानत रद्द कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया

नसीराबाद, (निसं)। मांगलियावास थाने में दर्ज एक हत्या के मामले में आरोपियों को नसीराबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपर लोक अभियोजक महेंद्र चौधरी ने बताया कि रामपुरा धोला दाता मसूदा निवासी लक्ष्मी ने 19 मई 2025 को मांगलियावास थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, उसका पति फतेह सिंह ट्रेलर लेकर कोटपूतली से ब्यावर की ओर आ रहा था, तभी तबीजी के पास पिकअप और मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने ट्रेलर रुकवाया और शिवराज, रोहित, सत्यनारायण समेत अन्य ने फतेह सिंह के साथ गंभीर मारपीट की।

देश की पहली मोबाइल सर्जिकल रोबोटिक बस अजमेर पहुंची

अजमेर, (कासं)। देश की पहली मोबाइल सर्जिकल रोबोटिक बस मंगलवार को अजमेर पहुंची। यहां मेडिकल कॉलेज में मोबाइल रोबोटिक बस के तकनीकी कार्मिकों द्वारा जेएलएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स,

- जेएलएन मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जिकल का लाइव डेमो और प्रशिक्षण दिया
- अजमेर से पहले मोबाइल सर्जिकल रोबोटिक बस जयपुर और जोधपुर में भी ट्रेनिंग दे चुकी हैं

मेडिकल स्टूडेंट्स सहित अन्य स्टाफ को लाइव डेमो और ट्रेनिंग के माध्यम से रोबोटिक सर्जिकल तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। जानकारी के अनुसार अजमेर से पहले यह बस जयपुर और जोधपुर में भी ट्रेनिंग दे चुकी



जेएलएन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने रोबोटिक सर्जरी के तकनीक के बारे में जानकारी ली।

है। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया, अस्पताल अधीक्षक डॉ अरविंद खरे के साथ रोबोटिक सर्जिकल मशीन को तैयार करने वाले निजी कंपनी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया

कि मोबाइल टैली रोबोटिक सर्जरी यूनिट मंगलवार को अजमेर पहुंची, कॉलेज पहुंचने पर बड़ी संख्या में डॉक्टर, छात्रों और नागरिकों ने आधुनिक तकनीक का अनुभव किया। इस अवसर पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट और अन्य स्टाफ को रोबोटिक

सीएनजी सप्लाई कंपनी एजीपी के साथ 1.06 करोड़ की धोखाधड़ी

जोधपुर, (कासं)। रातानाड़ा थाना क्षेत्र में एजीपी सीजीडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी के ही एक पूर्व कर्मचारी व दो अन्य लोगों द्वारा करीब 1.06 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला रातानाड़ा थाने में दर्ज किया गया है। कंपनी के मुख्य प्रबंधक (मार्केटिंग) अंशुल गंगावत की रिपोर्ट पर दर्ज इस मामले में नवदुर्गा सीएनजी ऑटो गैस, उसके प्रोप्राइटर मनीष गहलोत, अनिल गुवराज और कंपनी के पूर्व कर्मचारी युवराज सिंह सोलंकी को आरोपी बनाया गया है।

रातानाड़ा सर्किट हाउस रोड पर स्थित ब्यू सिटी मॉल में कंपनी का फरवरी 2024 में नवदुर्गा सीएनजी ऑटो गैस द्वारा जमा किए गए बिलों में से 554 फर्जी और डुप्लीकेट बिल हैं। इन बिल से कंपनी को 1 करोड़ 6 लाख 2 हजार रुपए का नुकसान हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि युवराज सिंह सोलंकी ने जान-बूझकर फर्जी बिलों को रिकशा के कन्वर्जन को वर्क ऑर्डर दिया

निर्माणाधीन मकान से 1750 किलो अवैध मछली बरामद

टोंक, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक टोंक विकास सागवान के निर्देशन में वृताधिकारी देवली रामसिंह के नेतृत्व में थाना पुलिस देवली एवं मत्स्य विभाग की टीम ने अवैध मछली शिकार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रताप कॉलोनी में स्थित एक निर्माणाधीन मकान से 1750 किलो अवैध मछली बरामद की गई है।

देवली उपनिरीक्षक दिलीप सिंह ने बताया कि टीम को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रात्रि गश्त के दौरान देवली रिको एरिया स्थित

- पूर्व कर्मचारियों और दो अन्य ने 554 फर्जी बिलों से चपत लगाई

गया। कंपनी द्वारा अधिकृत रेट्रो फिटमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स द्वारा गाड़ी कन्वर्जन के बिल जारी किए जाते थे, जिन्हें वेरिफाई करने की जिम्मेदारी कंपनी के तकनीकीन सत्यापन अधिकारी युवराज सिंह सोलंकी की थी।

बाद में कुछ संदेह होने पर कंपनी के अधिकारियों ने अंदरूनी स्तर पर छानबीन की। इसमें पता चला कि फरवरी 2024 में नवदुर्गा सीएनजी ऑटो गैस द्वारा जमा किए गए बिलों में से 554 फर्जी और डुप्लीकेट बिल हैं। इन बिल से कंपनी को 1 करोड़ 6 लाख 2 हजार रुपए का नुकसान हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि युवराज सिंह सोलंकी ने जान-बूझकर फर्जी बिलों को रिकशा के कन्वर्जन को वर्क ऑर्डर दिया

प्रताप कॉलोनी में निर्माणाधीन एक मकान में मानसून में मछलियों को चोरी से लाकर बेचने की सूचना पर थाना पुलिस व मत्स्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर मौके से 50 थर्माकोल के डिब्बों में बर्फ के साथ पैक की गई मछलियां बरामद की गईं, जिन्हें जब्त

मछलियां मत्स्य विभाग को सौंप दी। इस कार्रवाई में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ प्रजनन अवधि में अवैध रूप से मछली आखेट, अवैध संग्रहण व विक्री किये जाने के विरुद्ध मत्स्य अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान जारी है।

आसाराम को हाईकोर्ट से फिर राहत मिली

जोधपुर, (कासं)। अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्र से दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काटते आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाकर 12 अगस्त तक कर दिया है। यह फैसला आसाराम बापू की खराब सेहत और इलाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें सात जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद

में व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति जुलाई माह में की जानी थी, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते यह नियुक्ति मार्च 2025 में संभव नहीं हो पाई। व्यवसायिक शिक्षकों की नियुक्ति सैद्धांतिक व प्रायोगिक परीक्षा, साक्षात्कार व दस्तावेज सत्यापन द्वारा की गई।

उन्होंने बताया कि समय पर नियुक्ति नहीं दिए जाने से प्रदाताओं के एमओयू विभाग ने 16 जून 2025 को निरस्त कर दिए हैं, जिससे प्रशिक्षक बेरोजगार होने से मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान हैं, साथ ही विद्यार्थियों के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। विद्यार्थी व शिक्षकों की पीड़ा को देखते हुए बेरोजगार हुए व्यवसायिक शिक्षकों को को पुनः विलार्थों में नियोजित करने की मांग की है।

लाखों की नकदी हड़पी

- सायबर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज

उदयपुर, (निसं)। लाभ कमाने का झंसा देकर पीड़िता से लाखों की नकदी हड़पने वाले के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता पूनम शर्मा पलीदमनलाल निवासी हिरणमगरी सेक्टर 5 काशीपुरी ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि 26 जून को

मेरे मोबाइल पर वाट्सएप पर मैसेज आया। पृष्ठताछ करने उसने रोजगार करने की इच्छा के बारे में पृष्ठताछ तो मैंने सहमती दी। कुछ ही देर बाद दूसरे व्यक्ति ने फोन कर मुझसे बातचीत की तथा उसने टास्क पूरा करने पर लाभ

कमाने की बात कही। इस दौरान उसने युएस की प्रोपर्टी लाईक करने को कहा। इस पर मैंने उसके कहे अनुसार करना शुरू कर दिया। इस दौरान मैंने 4 लाख 99 हजार 999 रुपये उसके कहे अनुसार खाते में जमा करवा दिए। कुछ समय बाद कोई मैसेज नहीं मिलने पर ठगी होने का आभास हुआ। इस पर सायबर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया।

एक जमीन को दो बार बेचने का आरोप

सुलताना, (निसं)। चिड़ावा निवासी जवाहरलाल गुप्ता के खिलाफ सुलताना थाने में एक जमीन को दो बार बेचने का मामला दर्ज करवाया गया है।

पूर्व सहाजक हकीमुद्दीन के भाई इब्राहिम पुत्र हाजी सफीयारी ने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि चिड़ावा निवासी जवाहरलाल गुप्ता ने वर्ष 2000 में उसे और उसके भाई को अपनी जमीन बेची थी। इसके तीन साल बाद 2003 में इसी जमीन का शेष हिस्सा भी इब्राहिम को बेच दिया था, लेकिन पिछले साल जवाहरलाल गुप्ता

ने अपनी पूर्व में बेची गई जमीन का 187.88 वर्ग गज का प्लॉट बनवारी नाम के व्यक्ति को 29 अक्टूबर 2024 को फिर से बेच दिया, जबकि 20 जनवरी 2003 में जब जवाहरलाल गुप्ता ने अपनी जमीन में शेष रहे सभी आठ प्लॉट जब इब्राहिम को बेचे थे तो विक्रय पत्र में भी साफ अंकित था कि अब कोई जमीन शेष नहीं है। बावजूद इसके धोखाधड़ी से उसने जमीन हड़पने की नियत से 22 से 25 साल पहले बेची गई जमीन को फिर से बेच रहा है। पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में

मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जवाहरलाल गुप्ता व उसके पुत्र नवनीत गुप्ता, श्यामबिहारी गुप्ता तथा पत्नी सुशीला देवी समेत अन्य के खिलाफ फर्जी वसियत तैयार कर जमीन हड़पने का मामला सूरजगढ़ थाने में भी दर्ज है। इस मामले में सूरजगढ़ पुलिस ने हाईकोर्ट की फटकार के बाद करीब डेढ़ महीने पहले गुजरात से जवाहरलाल गुप्ता के पुत्र नवनीत गुप्ता को गिरफ्तार किया था, जो अभी भी जेल में है। निचली कोर्ट में नवनीत गुप्ता की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

सूरजगढ़ में दर्ज जमीन हड़पने की नियत से बनाई गई फर्जी वसियत के मामले में जवाहरलाल गुप्ता का बेटा नवनीत डेढ़ महीने से जेल में है। तो पत्नी सुशीला देवी की अग्रिम जमानत एडीजे कोर्ट चिड़ावा ने खारिज कर दी थी। वहीं सूरजगढ़ थाने में दर्ज मामले में जवाहरलाल गुप्ता, उसके दोनों बेटों और पत्नी समेत परिवार के अन्य सदस्यों पर आरोप है। अभी जेल में बंद बेटे नवनीत की जमानत भी नहीं हो पाई है कि जवाहरलाल गुप्ता पर एक और मामला दर्ज हो गया है।

ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश, हत्या के आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार

पावटा, (निसं)। विराटनगर थाना क्षेत्र की तेवड़ी घाटी में सोमवार शाम को पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। इस ब्लाइंड मर्डर के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में अज्ञात मृतक की पहचान कर हत्या के आरोपी डालचंद (45) पुत्र देवाराज बलाई व रोशनी देवी (35) पत्नी डालचंद निवासी ग्राम गुढ़ा चुरानी थाना थानागाजी जिला अलवर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने उधारी की रकम चुकाने से बचने के लिए प्रहलाद उर्फ राजू पुत्र मूलचंद हंसराज गौड़ की हत्या की थी।

जिला पुलिस अधीक्षक कोटपुतली बहरोड़ राजन दुथ्थत ने बताया कि सोमवार शाम विराटनगर थाना क्षेत्र की तेवड़ी घाटी में मिले व्यक्ति के शव की घटना की गंभीरता से लेते हुए ब्लाइंड मर्डर की घटना के खुलासे व त्वरित कार्रवाई के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपूतली वैभव शर्मा के निर्देशन व वृताधिकारी विराट नगर शिपा राजावत के सुपरविजन एवं विराट नगर थाना प्रभारी सोहनलाल के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए, आसूचना संकलन कर, सीसीटीवी फुटेजों को खंगालते हुए, साइबर तकनीकों का प्रयोग करते हुए पाया कि आरोपी डालचंद व उसकी पत्नी रोशनी देवी ग्राम गुढ़ा चुरानी थाना थानागाजी जिला अलवर में किराए पर दुकान लेकर टेलर का काम करते हैं, जिन्होंने अपने गांव के ही प्रहलाद उर्फ राजू पुत्र मूलचंद हंसराज गौड़ से कई बार में काफी रुपए उधार ले रखे थे।



हत्या के आरोपी दम्पती को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

- उधारी की रकम चुकाने से बचने के लिए पति-पत्नी ने पहाड़ी पर ले जाकर व्यक्ति की हत्या की थी
- गले में पहने हुए तौलिये से गला घोट कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, शव को जंगल में फेंक कर फरार हो गये थे

वहीं उधार दी गई राशि मांगने व देने का दबाव बनाने पर दंपती ने मिलकर प्रहलाद उर्फ राजू की हत्या करने की साजिश रची। साजिश के तहत दोनों पति-पत्नी एक सप्ताह पहले स्कूटी से विराट नगर आए व विराट नगर क्षेत्र में सुनसन जगह की तलाश की एवं विराट नगर से मेड़ जाने वाले रोड पर एक चढ़ाई में हंडैपंग के सामने की एक जगह जहां से पहाड़ी पर रास्ता रहा है उसे साजिश को अंजाम देने

के लिए चिन्हित किया। रैकी करने के बाद दोनों वापस अपने घर चले गए। छह जुलाई को दोनों दंपती अपनी स्कूटी से घटना स्थल पहुंचे व मृतक प्रहलाद उर्फ राजू को फोन कर बुलाया व अपनी स्कूटी पेड़ों में छिपाकर अपने पति को पूर्व नियोजित स्थान पहाड़ी की खाई में छुपा कर बिठा दिया।

उसी स्थान पर प्रहलाद उर्फ राजू को आरोपिया रोशनी देवी लेकर गई। जहां उसके साथ कुछ देर बैठकर बातचीत की

के लिए चिन्हित किया। रैकी करने के बाद दोनों वापस अपने घर चले गए। छह जुलाई को दोनों दंपती अपनी स्कूटी से घटना स्थल पहुंचे व मृतक प्रहलाद उर्फ राजू को फोन कर बुलाया व अपनी स्कूटी पेड़ों में छिपाकर अपने पति को पूर्व नियोजित स्थान पहाड़ी की खाई में छुपा कर बिठा दिया।

उसी स्थान पर प्रहलाद उर्फ राजू को आरोपिया रोशनी देवी लेकर गई। जहां उसके साथ कुछ देर बैठकर बातचीत की